न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 108 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. डूंगरीया पुत्र मुकनाराम
2. पन्नाराम पुत्र डुंगराराम
3. हड़मानराम पुत्र डुंगराराम

जाति जाट सभी निवासी रिछोली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सोनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी रिछोली

2.राजस्थान राज्य जरीये भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 271ए / 2015 बअनवान सोनाराम बनाम डुंगरीया में पारित आदेश दिनांक 22.10.2021 पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री पूनमाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 28.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट ने इस आशय का प्रार्थना–पत्र पेश किया कि अपीलांट संख्या 01 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 287 रकबा 21.19 बीघा में से रेस्पोडेंट / प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 283 रकबा 82.04 बीघा तक आने जाने एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें, उक्त प्रार्थना–पत्र में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की, जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा तैयार नहीं कर आर.आई. द्वारा एकांकी तौर से तैयार कर पेश की, तदोपरान्त एक अन्य मौका रिपोर्ट तलब कर ऐसी एकांकी मौका रिपोर्ट पेश होना बताकर बिना अपीलांट को सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना ही उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प गोपड़ी में बिना अपीलांट को सुने ही आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में की गई। अपील न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2016 को निरस्त कर पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि पटवारी हल्का व तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट दिनांक 10.09.2021 तैयार की थी तब तहसीलदार पचपदरा ने अपनी मौका रिपोर्ट में कही पर भी वैकल्पिक रास्ता होना अंकित नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांटगण को परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय क सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2021(2) Page 1286
RRT 2019(1) Page 403
RRT 2018(2) Page 1193
RRT 2016-17(Supp.) Page 677
RRT 2017(1) Page 423

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्त प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया लेकिन कैम्प कोर्ट में अपीलांट को उपस्थिति बाबत कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मौका फर्द दिनांक 27.06.2018 में स्पष्ट आया कि "खसरा संख्या 283 से कटान रास्ते तक पहुंचने के लिए खसरा संख्या 284 के सहारे खसरा संख्या 287 में दूरी 94 गड्डा है। खसरा संख्या 283 से डामर सड़क तक दूरी मात्र 75 गड्डा है जो न्यूनतम है जो खसरा संख्या 289 में खसरा संख्या 290 के सहारे डामर सड़क तक है अगर 289 मे से रास्ता दिया जाता है तो न्यूनतम दूरी पर है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका फर्द दिनांक 10.09.2021 में कही पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। अधिनियम, 1955 की धारा 251–क के प्रावधानों के अनुसार नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने के लिये दो चीजें आवश्यक है, आत्यान्तिक आवश्यकता होनी चाहिए ना कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये एवं विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 में अधिनियम, 1955 की धारा 251ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 में भी किया गया है जो इस प्रकार से है:–1.आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है एवं 2. किसी अन्य खातेदार की जोत से हो कर नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कतई स्वीकार्य नहीं है। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की है। हस्तगत आवेदन पेश करते वक्त मूल खसरा संख्या 283 अविभाजित था तथा उसी स्थिति अनुसार रास्ता दिया जाना उचित होगा। तहसीलदार पचपदरा ने मूल खसरा संख्या 283

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

(विभाजन से पूर्व) मौके की स्थिति से विपरित जाकर पूर्व में उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पेश मौका फर्द दिनांक 27.06.2018 के विरोधाभासी कथन करते हुए मौका रिपोर्ट पेश की जो प्रथम दृष्टया पद का दुरूपयोग करते हुए अपीलांटस को क्षति पहुंचने के लिए तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 271ए/2015 बअनवान सोनाराम बनाम डुंगरीया में पारित आदेश दिनांक 22.10.2021 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 289 के खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर, तहसीलदार स्वयं से उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करें और इसके उपरान्त ही धारा 251–ए के सुसंगत प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251 ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुये बाद समुचित सुनवाई अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर